मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं पं0 दीनदयाल अन्त्योदय योजना–राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY & NULM) के समस्त घटकों की दिनांक 27.01.2018 की समीक्षा बैठक का कार्यवृत्त।

मा0 मंत्री जी, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) एवं दीनदयाल अन्त्योदय योजना--राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (DAY & NULM) के समस्त घटकों की दिनांक 27.01.2018 को समीक्षा की गयी। इस समीक्षा बैठक में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा प्रतिभाग किया गयाः–

1. श्री मनोज कुमार सिंह, प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. श्री देवेन्द्र कुमार पाण्डेय, मिशन निदेशक/निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
3. डा0 वी0के0 सिंह, अपर निदेशक, सूडा, उ0प्र0।
4. श्री उदय प्रताप सिंह, एन0यू0एल0एम0 प्रभारी, एस0यू0एल0एम0–सूडा, उ0प्र0।
5. श्री ओ0के0 सिंह, राज्य मिशन प्रबन्धक, एस0यू0एल0एम0–सूडा, उ0प्र0।
6. श्री मौ0 तैय्यब, राज्य मिशन प्रबन्धक, एस0यू0एल0एम0–सूडा, उ0प्र0।
7. डा0 कमल कुमार सिंह, राज्य मिशन प्रबन्धक, एस0यू0एल0एम0–सूडा, उ0प्र0।
8. श्री योगेश आदित्य, सहा0 परियोजना अधिकारी, एस0यू0एल0एम0–सूडा, उ0प्र0।

उक्त समीक्षा बैठक में मा0 मंत्री जी द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थियों एवं एन0यूएल0एम0 के अन्तर्गत शहरी गरीबों को लाभ पहुँचाने हेतु समयबद्ध तरीके से कार्यवाही किये जाने हेतु निम्न निर्देश दिए गयेः–

1. प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी) के लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत आवास निर्माण घटक के अन्तर्गत स्वीकृत आवासों के सापेक्ष प्रत्येक दशा में 01 फरवरी, 2018 तक 30 हजार लाभार्थियों को प्रथम किश्त की धनराशि रु0 50,000/– अवमुक्त कर दी जायें।
2. 15 फरवरी, 2018 तक समस्त 30 हजार लाभार्थियों के आवासों का कार्य प्लिन्थ लेवल तक पूर्ण हो जायें।
3. 15 से 20 फरवरी, 2018 तक उपलब्ध बजट के अनुसार द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त कर दी जायें।
4. 25 फरवरी, 2018 तक उक्त समस्त लाभार्थियों का आवास लिन्टल लेवल तक पूर्ण हो जायें।
5. उक्त समस्त कार्य समयबद्ध रूप से पूर्ण कराया जाए एवं 31 मार्च, 2018 तक 1 लाख आवासों की जियो टेगिंग कर दी जायें।
6. शहरी गरीबों हेतु मेडिकल कालेजों में बनाये जा रहे आश्रय गृहों में शहरी बेघरों (मजदूर, रिक्शा चालक, ढ़ेले वाले आदि) को आश्रय समुचित ढंग से दिलाए जाने की व्यवस्था की जाए।

7. जिन शहरों में सर्वे का कार्य पूर्ण हो चुका है, उन शहरों में किये गये शहरी पथ विक्रेताओं के सर्वे का क्रॉस वेरीफिकेशन, पथ विक्रेताओं द्वारा विक्रय कर रहें स्थल सहित फोटोग्राफी के माध्यम से कराया जाये, ताकि पात्र शहरी पथ विक्रेता ही लाभान्वित हो सकें एवं नये आवंटित स्थल पर शिफ्ट करने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जाए कि पुराना स्थल पथ विक्रेताओं के द्वारा खाली कर दिया गया है।

8. चयनित समस्त शहरों के पथ विक्रेताओं का सर्वे सुनियोजित एवं व्यवस्थित रूप से किया जाए। प्रथम चरण के शहरों में मॉडल वेडिंग जोन यथाशीघ्र विकसित किया जाए।

9. गठित किये गये स्वयं सहायता समूहों को सशक्त किये जाने हेतु स्थानीय स्तर पर खपत होने वाले उत्पादों का उत्पादन कराये जाने हेतु ऋण के माध्यम से रोजगार परक आर्थिक गतिविधियों का बढ़ावा दिये जाने पर विशेष बल दिया जाये।

10. स्व–रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत पात्र गरीब लाभार्थियों का सही तरीके से चयन किया जाए।

11. अच्छा कार्य करने वाले परियोजना अधिकारियों/अन्य कर्मियों को पुरस्कृत किया जाए एवं लापरवाह परियोजना अधिकारियों को नियमानुसार दण्डित किया जायें। उक्त अधिकारियों को पुरस्कार वितरण 2 अक्टूबर, 2018 को किये जाने हेतु निर्देशित किया गया।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक/निदेशक
सूडा

पत्रांक–4222/01/तीस/कार्यक्रम/2017–18 दिनांक–31 जनवरी, 2018

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. निजी सचिव, मा0 मंत्री, संसदीय कार्य/नगर विकास/नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन।
2. प्रमुख सचिव, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, उ0प्र0 शासन को अवलोकनार्थ।
3. समस्त जिलाधिकारी/अध्यक्ष, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
4. समस्त नगर आयुक्त/सिटी प्रोजेक्ट आफिसर, सी0एम0एम0यू0, उ0प्र0।
5. समस्त परियोजना अधिकारी/सहा0 परि0 अधिकारी, जिला नगरीय विकास अभिकरण, उ0प्र0।
6. सहायक परियोजना अधिकारी/वेबमास्टर, सूडा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(देवेन्द्र कुमार पाण्डेय)
मिशन निदेशक/निदेशक
सूडा